न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/49/2022 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 18.04.2022

उनवान

1. मोहन पिता लेहरू जाति चमार आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मेताबी पुत्री लेहरू जाति चमार आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया हाल मुकाम लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. लेहरी पत्नी लेहरू जाति चमार आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. दोलतराम पिता उदेराम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रूकमणी पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मंगनीराम पिता मोहनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मेघराज पिता मोहनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मांगीलाल पिता भैरू फोत के बजाय—
   5/1— शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   5/1— नानालाल पिता मांगीलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   5/1— सक्कू पत्नी मांगीलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. मोहनलाल पिता भैरू फोत के बजाय—
   6/1— माधु पिता मोहनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रामेश्वर पिता मोहनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. लेहरू पिता मोहनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. लीला पुत्री मोहनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द हाल मुकाम देवरिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. सोहनलाल पिता उदेराम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. उदेराम पिता भैरू फोत के बजाय—
    11/1— जमना बेवा उदेराम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा —प्रार्थीगण
एकतरफा —अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :—

निर्णय दिनांकः 25.07.2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:55:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा देवरिया तहसील

कपासन के हल्के बैरूनी मे स्थित है जिसके हाल आराजी संख्या 431 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी संख्या 434 रकबा 1.15 हैक्टर स्थित है। जिसमें आने जाने व खाली, भरी बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतू अप्रार्थीगण के खातेदारी के हाल आराजी संख्या 437 प्रार्थी की आराजी के पूर्व में स्थित होकर के प्रार्थी का रास्ता उत्तर दक्षिण बना हुआ है जो आम रास्ते से सट्मा है।

यह कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 431, 437 पर आने जाने व खाली, भरी बैलगाडी ले जाने हेतू ग्राम हिंगोरिया से रास्ता आराजी नं. 437 से अप्रार्थीगण की आराजी नं. 437 के पश्चिम पाली पर होकर के प्रार्थी की अपनी आ0सं0 431, 434 में प्रवेश करता है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा एक ही खातेदार गोकल पिता सुरजमल ब्राहम्मण निवासी हिंगोरिया से आराजी क्रय की गई आराजी नं. 431, 434 को प्रार्थी के पिता लेहरू पिता हिरा चमार के द्वारा व आराजी संख्या 437 अप्रार्थीगण के द्वारा गोकल पिता सुरजमल ब्राहम्मण से आराजी क्रय की गई इस प्रकार पूर्व का खातेदार दोनो आराजीयात का गोकल पिता सुरजमल ब्राहम्मण निवासी हिंगोरिया था जिसका एक हिस्सा प्रार्थी के पिता के द्वारा खरीद किया गया तथा दुसरा हिस्सा अप्रार्थीगण के द्वारा क्रय किया गया तथा प्रार्थी खरीद के समय सम्वत् 2013 से लगाकर के आज दिन तक इसी रास्ते का उपयोग, उपभोग कर रहा है इसलिये आराजी नं. 437 की पश्चिम पाली पर आम रास्ता ग्राम हिंगोरिया में जाने वाला तक 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने व खाली, भरी बैलगाडी ले जाने हेतु पुराना रास्ता तक प्रार्थी के बाप दादाओ के समय का रास्ता है। इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 25.03.2022 को लडाई झगडा करके प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात पर आने जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया इसके कारण प्रार्थी की खेत में फसल काटी हुई पडी है तथा प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने व खाली भरी बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतू और कोई रास्ता उपलब्ध नही है इसलिये प्रार्थी की आराजीयात के लिये आराजी नं. 437 में से ग्राम हिंगोरिया से जाने वाले आम रास्ते मे से प्रार्थी को आराजी में प्रवेश करने तक आ0नं0 437 की पश्चिम पाली पर 20 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे आम रास्ता दर्ज कराया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते हेतू नियमानुसार शुल्क प्रार्थी वहन करने का तैयार है।

यह कि अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 25.03.2022 को प्रार्थी ट्रैक्टर लेकर के अपने खेत की हंकाई करने हेतू गया तो अप्रार्थीगण के द्वारा लडाई झगडा किया गया मारपीट करने की धमकी दी इसलिये वाद हेतुक दिनांक 25–03–2022 को जारी होकर के निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर के ग्राम हिंगोरिया के हाल आराजी नं. 437 के पश्चिमी पाली पर अप्रार्थीगण की आराजी नं. 434 में प्रवेश करने तक 20 फिट चौडा रास्ता उत्तर से दक्षिण की लम्बाई आने जाने खाली भरी बैलगाडी, मवेशी लाने ले जाने के लिये कायम कराया जाकर के नक्शे में पैमुद कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:45:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 18.07.2023 को अप्रार्थीगण की सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 20.12.2022 को कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही

निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा हिंगोरिया की आ0न0 431, 434 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है। कृषि भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   समस्त पक्षकारान को राजीनामा बाबत रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास किया तथा रास्ते का क्षेत्रफल 38 × 4 = 152 वर्ग मीटर = 0.0152 हैक्ट. । सहमति के प्रयास में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में कोई सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   नहीं।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 431 रकबा 0.05 हैक्ट0 तथा आराजी नं0 434 रकबा 1.15 हैक्ट0, पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 437 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा हिंगोरिया की आ0 सं0 431, 434 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:55:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 431, 434 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा हिंगोरिया की आ.न. 437 है। जिसका रकबा 38 × 4 = 152 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 12.10.2022 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 152 वर्गमीटर की डीएलसी दर 491164 × 0.0152 = 7465.69 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 14932/– रूपये अक्षरे चौदह हजार नौ सौ बत्तीस रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:55:27 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन